>

Title: Need to retain the old format of Civil Services examination for All India Services conducted by UPSC.

श्री राजू शेट्टी (हातकंगले): संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित आई.ए.एस./आई.पी.एस. जैसे पदों के चयन हेतु जो इम्तिहान लिया जाता था उसमें 6 मार्च, 2013 के संघ लोक सेवा आयोग के घोषित निर्णय के अनुसार प्रादेशिक भाषाओं में इम्तिहान देने वाले छात्रों पर अन्याय हो रहा है। गुणवत्ताधारक छात्रों को केवल प्रादेशिक भाषाओं में इम्तिहान देने से रोकने से ग्रामीण इलाकों से और प्रादेशिक भाषाओं में अध्ययन प्राप्त छात्रों पर अन्याय होगा। संघ लोक सेवा आयोग अब तक मराठी जैसे प्रादेशिक भाषा में इम्तिहान देने वाले छात्र जो अंग्रेजी या अन्य माध्यम से स्नातक पदवी प्राप्त किए हैं वह भी प्रादेशिक भाषा में जवाब लिख सकते थे एवं वे मराठी साहित्य जैसे वैकल्पिक विषय का चुनाव मुख्य इम्तिहान में कर सकते थे। किंतु अब केवल उसी प्रादेशिक भाषा में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र उसी प्रादेशिक भाषा साहित्य का विकल्प चयन कर सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दूसरा नियम जो प्रादेशिक भाषा में जवाब लिखने वाले छात्र के लिए बाधा बन सकता है वह नियम है कम से कम 25 छात्र मुख्य इम्तिहान में उस विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है और तीसरे नियम के तहत अगर छात्र दूसरे किसी भी शाखाओं में जैसे विज्ञान, वाणिज्य एवं अभियांत्रिकी शाखाओं में स्नातक उपाधि प्राप्त हो तो यह छात्र प्रादेशिक भाषा साहित्य विकल्प के रूप में नहीं ले सकेंगे। इस बदलाव से महाराष्ट्र के सभी ग्रामीण और शहरी इलाकों में रहने वाले छात्र और मराठी साहित्य भाषाओं में इम्तिहान देने वाले छात्र काफी चिंतित हैं। इस नई चयन प्रक्रिया से ऐसे छात्रों के चयन की संभावना बहुत कम हो जाएगी। इसलिए संघ लोक सेवा आयोग इस बदलाव को तुंत वापस लें एवं छात्रों पर होने वाले अन्याय को दूर करने की नितांत आवश्यकता है।